प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांकः- 23.06.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः-

- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अ0सं0-104/2025 धारा 352/351(2)/109 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त प्रमोद मिश्रा उर्फ अनिल मिश्रा पुत्र स्व0 माता प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम करीम नगर थाना सिकन्दरा कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अ0सं0-137/19 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रामनाथ पुत्र स्व0 बादल 2. रामबाबू पुत्र स्व0 बादल निवासीगण बक्सपुरवा थाना शिवली (वारण्टी) जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त आजाद सिंह पुत्र राजेन्द्र बाबू निवासी खरका थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा शासनादेश प्रतिबन्धित समय अवधि के दौरान मछली को जाल डाल के पकड़ना व 15 अदद बॉक्स थर्माकाल के बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 32/2025 धारा 6/7 भारतीय मत्स्य क्षेत्र अधि0 1897 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त कमल त्रिवेदी पुत्र रामनारायण त्रिवेदी उम्र करीव 40 वर्ष निवासी बलाई बुजुर्ग थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 17 अदद क्वार्टर देशी शराब ट्विन टावर नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0121//2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त बऊअन चौबे पुत्र अशोक कुमार उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बलाई बुजुर्ग थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 19 अदद क्वार्टर देशी शराब ट्विन टावर नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0122/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त रघुवीर सिंह पुत्र उजागर सिंह निवासी गौतमबुद्ध नगर कस्बा व थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 30 अदद टेट्रा पैक देशी शराब जानेमन ब्राण्ड (प्रत्येक 180 ml) बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0257/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 14 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना सिकन्दारा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति व थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।